विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक - 246 परिशिष्ट -
[20/7/2026]
माननीय सदस्य का नाम प्रश्न सं. [क. 246] - श्री डॉ. राजेन्द्र सिंह
सदन में उत्तर देने का दिनांक - 20-07-2026 (1)

पंजीकृत डाक

लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश
गौतम नगर भोपाल 462023
ई-मेल vigilance-dpl @mp.gov.in

क्रं./स्था-1/सत/सी/उज्जैन/वि.सभा.1123./2026-26 278 भोपाल, दिनांक 16/6/2026

::आदेश::

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1123 दिनांक 21.07.2025 के अनुक्रम में जिला उज्जैन के अंतर्गत प्रशासनिक/वित्तीय अनियमितताओं तथा पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही बरतने आदि के कारण श्री आनंद शर्मा, तत्कालीन (मूल पद प्राचार्य उ.मा. वि.) तत्का. प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी उज्जैन (वर्तमान में राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल) एवं श्री गिरीश तिवारी, (मूल पद प्राचार्य हाईस्कूल) अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी उज्जैन को संचालनालय के पत्र दिनांक 29.01.2026 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर प्रतिवाद चाहा गया था।

उक्त के अनुक्रम में प्राप्त प्रतिवाद में उल्लेखित तथ्यों के समाधानकारक नहीं पाये जाने के कारण संचालनालय के पत्र दिनांक 09.03.2026 के द्वारा श्री आनंद शर्मा एवं श्री गिरीश तिवारी के विरूद्ध आरोप पत्रादि जारी कर प्रतिवाद चाहा गया । आरोप पत्र के प्रतिवाद में उल्लेखित तथ्यों एवं व्यक्तिगत सुनवाई में प्रस्तुत तथ्यों के समाधानकारक न पाये जाने कारण प्रकरण में विस्तृत जॉच कराये जाने हेतु श्री आनंद शर्मा, तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी जिला उज्जैन एवं श्री गिरीश तिवारी, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक जिला उज्जैन के विरूद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 14 एवं 18 के तहत संयुक्त विभागीय जॉच संस्थित करने का निर्णय लिया गया है।

अतएव, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 14 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री आनंद शर्मा, तत्कालीन (मूल पद प्राचार्य उ.मा.वि.) तत्का. प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी उज्जैन (वर्तमान में राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल) एवं श्री गिरीश तिवारी, (मूल पद प्राचार्य हाईस्कूल) अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी उज्जैन के विरूद्ध लगाये गये आरोपों की जांच करने के लिये विभागीय जांच संस्थित करते हुए संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण उज्जैन संभाग उज्जैन को जांचकर्ता अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी जिला उज्जैन को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

(अभिषेक सिंह)
आयुक्त
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

संयुक्त आयुक्त
लोक शिक्षा, म.प्र.

निरंतर......

②

पृ.क्रं./स्था–1/सत/सी/उज्जैन/वि.सभा.1123./2025–26 879 भोपाल, दिनांक 16/6/2026

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल।
2. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल।
3. संभागीय, आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन म.प्र.।
4. कलेक्टर, जिला उज्जैन म.प्र.।
5. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण उज्जैन संभाग उज्जैन (जॉचकर्ता अधिकारी) की ओर आरोप पत्र एवं प्राप्त प्रतिवाद की छायाप्रति संलग्न कर लेख है कि प्रकरण में जॉच 15 दिवस में पूर्ण कर स्पष्ट अभिमत सहित विभागीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।
6. जिला कोषालय अधिकारी, जिला उज्जैन/भोपाल म.प्र.।
7. जिला शिक्षा अधिकारी जिला उज्जैन (प्रस्तुतकर्ता अधिकारी) की ओर आरोप पत्र एवं प्राप्त प्रतिवाद की छायाप्रति संलग्न कर लेख है कि प्रकरण में जॉच से संबंधित समस्त कार्यवाहियों आवश्यक अभिलेखों के साथ जॉचकर्ता अधिकारी को प्रस्तुत करना एवं सहयोग करना सुनिश्चित करें।
8. श्री आनंद शर्मा, तत्कालीन (मूल पद प्राचार्य उ.मा.वि.) तत्कालीन प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी उज्जैन (वर्तमान में राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल)
9. श्री गिरीश तिवारी, (मूल पद प्राचार्य हाईस्कूल) अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी उज्जैन म.प्र.।
10. कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला उज्जैन म.प्र., की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संयुक्त आयुक्त
सहकारिता, म.प्र.

आयुक्त
लोक शिक्षण,मध्यप्रदेश

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग–उज्जैन

क्रमांक/सतर्कता/उज्जैन/2026/364 उज्जैन दिनांक 27/04/2026

आदेश

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1123 में उठाये गये बिन्दुओं की जांच हेतु संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल द्वारा आदेश क्रमांक/स्था0–1/सत/सी/विधानसभा/221/2025/1061, दिनांक 17.07.2025 से समिति का गठन कर जांच कराई गई। जांच समिति द्वारा जांच उपरान्त प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार श्री अशोक कुमावत, सहायक ग्रेड–2, पदस्थ कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, उज्जैन द्वारा श्री आर. एस. गिल, डाटा एंट्री आपरेटर को राशि रूपये 6,57,226/– एवं श्री शंकरसिंह चौहान, भृत्य को राशि रूपये 7,38,829/– इस प्रकार कुल राशि रूपये 13,96,055/– का अधिवार्षिकी आयु से अधिक सेवा करा कर पर वेतन के रूप में भुगतान करने श्री शंकरसिंह चौहान, भृत्य को नियमों के विपरित सातवें वेतनमान में वेतन निर्धारण करते हुए एरियर राशि के रूप में राशि रूपये 5,24,502/– का अधिक भुगतान करने एवं श्री आर. एस. गिल, डाटा एंट्री आपरेटर को राशि रूपये 88,461/– एवं श्री शंकरसिंह चौहान, भृत्य को राशि रूपये 60,417/– इस प्रकार कुल राशि रूपये 1,48,878/– का अप्रैल 2018 से सितम्बर 2018 तक सातवें वेतनमान के अनुसार वेतन से अधिक भुगतान होने के कारण श्री अशोक कुमावत, सहा. ग्रेड–02, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, उज्जैन को कार्यालय द्वारा आरोप पत्रादि जारी किये गए। श्री अशोक कुमावत के द्वारा कार्यालय में प्रतिवाद प्रस्तुत किया गया। श्री अशोक कुमावत का प्रतिवाद समाधानकारक एवं संतोषप्रद नहीं पाया गया।

अतः मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम–1966 के नियम–14 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत श्री अशोक कुमावत के विरूद्व विभागीय जांच संस्थित की जाती है। विभागीय जांच हेतु श्री पदम सिंह चौहान, प्राचार्य, शास. मॉडल उ. मा. वि. उज्जैन को जांचकर्ता अधिकारी एवं श्री अनिल गुप्ता, प्राचार्य, शास. हाईस्कूल ब्यावरा, विकासखण्ड–उज्जैन को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

विभागीय जांचकर्ता अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार विभागीय जांच की प्रक्रिया पूर्ण कर जांच प्रतिवेदन दो प्रतियों में कार्यालय को 15 दिवस में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(रमा नाहटे)
संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण संभाग, उज्जैन

पृष्ठां.क्रमांक/सतर्कता/उज्जैन/2026/365 उज्जैन दिनांक 27/04/2026

प्रतिलिपि –

1. आयुक्त, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, उज्जैन की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि संबंधितों को आदेश तामिल करवाकर पावती कार्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
3. श्री पदम सिंह चौहान जांचकर्ता अधिकारी एवं प्राचार्य, शास. मॉडल उ. मा. वि. उज्जैन की ओर श्री अशोक कुमावत के आरोप पत्रादि की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि विभागीय जांच 15 दिवस में पूर्ण कर जांच प्रतिवेदन अपने अभिमत सहित कार्यालय को प्रेषित करें। (द्वारा–जिला शिक्षा अधिकारी, उज्जैन)
4. श्री अनिल गुप्ता प्रस्तुतकर्ता अधिकारी एवं प्राचार्य, शास. हाईस्कूल ब्यावरा, विकासखण्ड–उज्जैन को निर्देशित किया जाता है कि जांचकर्ता अधिकारी को अपेक्षित सहयोग प्रदान कर उक्त अवधि में जांच कार्य संपन्न कराना सुनिश्चित करें। (द्वारा–जिला शिक्षा अधिकारी, उज्जैन)
5. श्री अशोक कुमावत, सहा. ग्रेड–02, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ (द्वारा–जिला शिक्षा अधिकारी, उज्जैन)

संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण संभाग–उज्जैन

संयुक्त आयुक्त
सहकारिता, म.प्र.

GAYATRI PARASHAR Digitally signed by GAYATRI PARASHAR Date: 2026.07.09 18:11:47 +05'30'

Scanned with OKEN Scanner